## :: आदेश ::

शासनादेश संख्या–371 / XVIII-B-1/2024-12(5)/2023 दिनांक 23.04.2024 एवं शासनादेश संख्या–635 / XVIII-B-1/2024-12(4)/2024 दिनांक 03.07.2024 एवं शासनादेश संख्या–09 / XVIII-B-1/2024-12(4)/2024 दिनांक 06.01.2025 से वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य आपदा मोचन निधि अन्तर्गत प्राप्त धनराशि में से प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त निम्न कार्ययोजनाओं के मरम्मत हेतु **अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड पिथौरागढ़** को 04 कार्ययोजनाओं के सापेक्ष **₹ 21.00 लाख (₹ इक्कीस लाख मात्र)** की धनराशि निम्न प्रतिबन्धों के अन्तर्गत अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

| क्र0 स0 | तहसील / खण्ड / ग्राम का नाम / स्थान का नाम | कार्य योजना का नाम | कार्यदायी संस्था | आगणन की लागत रू0 लाख में | जिला मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित धनराशि रू0 लाख में |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | कनालीछीना / कनालीछीना / ढटखोला | दैवीय आपदा 2024–25 के अन्तर्गत ढटखोला में डुन्डु गाड से कृषि भूमि की सुरक्षात्मक कार्य। | सिंचाई खण्ड पिथौरागढ़ | 4.99 | 1.90 |
| 2. | कनालीछीना / कनालीछीना / दयोड़ा | ग्राम दयोड़ा के अन्तर्गत काली नदी में निर्मित भारत–नेपाल पैदल पुल के दाये पार्श्व में क्षतिग्रस्त नीव की मरम्मत का कार्य (पुल के अपस्ट्रीम U/S में) | सिंचाई खण्ड पिथौरागढ़ | 14.99 | 6.60 |
| 3. | कनालीछीना / कनालीछीना / दयोड़ा | ग्राम दयोड़ा के अन्तर्गत काली नदी में निर्मित भारत–नेपाल पैदल पुल के दाये पार्श्व में क्षतिग्रस्त नीव की मरम्मत का कार्य (पुल के डाउनस्ट्रीम D/S में) | सिंचाई खण्ड पिथौरागढ़ | 14.96 | 6.50 |
| 4. | बेरीनाग / बेरीनाग / काण्डे किरौली | राज्य आपदा न्यूनीकरण मद के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड बेरीनाग में ग्राम काण्डे किरौली में अतिवृष्टि के कारण हुए भू–स्खलन से भवनों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा दीवार के निर्माण का कार्य। | सिंचाई खण्ड पिथौरागढ़ | 12.92 | 6.00 |
| | | योग | | **47.86** | **21.00** |

उक्त स्वीकृत कुल **₹ 21.00 लाख (₹ इक्कीस लाख मात्र)** की धनराशि आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से **अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड पिथौरागढ़** को सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध करायी जा रही है। कार्यदायी संस्था द्वारा आपदा से क्षतिग्रस्त कार्यों के समय के फोटोग्राफ, मरम्मत कार्य पूर्ण होने के फोटोग्राफ एवं उपलब्ध कराई गई धनराशि के क्षतिग्रस्त कार्यो के समय के फोटोग्राफ, सम्बन्धित उपजिलाधिकारी की संस्तुति के साथ इस उपयोगिता प्रमाण पत्र 45 दिन में कार्य पूर्ण कर प्रत्येक दशा में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी की संस्तुति के साथ इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें। कार्यदायी संस्था द्वारा आपदा से क्षतिग्रस्त उक्त योजना को GEO Tagging से कराया जाना अनिवार्य होगा।

जनहित में राज्य आपदा मोचन निधि में आवंटित बजट के सापेक्ष अधिकतम कार्ययोजनाओं व धनराशि वितरित की जा रही है। कार्यदायी संस्था उपरोक्त स्वीकृत योजनाओं में आवंटित की जा रही धनराशि में यदि किसी कार्य योजना का कार्य पूर्ण न होने की दशा में अवशेष धनराशि अपने विभागीय बजट व अन्य मदों से पू कराना सुनिश्चित करेंगें।

2— उपरोक्त निर्देशानुसार धनराशि आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये आंगणन/तकनीकी परीक्षण उपरान्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों, समय—समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों/प्रक्रिया का अनुपालन न होने पर संबंधित अधिशासी अभियन्ता/कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप स उत्तरादायी रहेंगे।

— **अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड पिथौरागढ़** द्वारा नियमानुसार आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करने उपरान्त प्रपत्र—1, प्रपत्र—2, एवं प्रपत्र—3 में सूचना जिला कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी। निर्धारित की गई अवधि के अन्दर औपचारिकतायें पूर्ण न किये जाने पर कार्यदायी संस्था के विरूद्ध होने वाली कार्यवाही के लिए संबंधित अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होगें।

— कार्यदायी संस्था को कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व कार्य के मध्य, कार्य पूर्ण होने के पृथक—पृथक फोटोग्राफ उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।

— संबंधित कार्यदायी संस्था सभी अभिलेख सम्परीक्षा हेतु अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे। जिला कार्यालय के दैवी आपदा अनुभाग में महालेखाकार/राजस्व परिषद द्वारा सम्परीक्षा किये जाने पर अभिलेखों को सम्परीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

दिनांक 28 मार्च, 2025

ह0/—
(विनोद गोस्वामी)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, पिथौरागढ़।

संख्या— 764 /तेरह—एस0डी0आर0एफ0/2024—25 दिनांक 29 मार्च, 2025

**प्रतिलिपि** निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. **अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड पिथौरागढ़।**
2. सचिव, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
4. उप जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
5. अर्थ एवं संख्याधिकारी, पिथौरागढ़ ।

प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी,पिथौरागढ़